

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनाथथ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

सा. का. नि.....(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, के अधिसूचना संख्या 14/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 01 जुलाई, 2017 जिसे सा. का. नि. 818(अ), 01 जुलाई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ 1 में, पंक्ति 1 में, शब्दों "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड" को "भारत सरकार" पढ़ें।

[फा. सां. 349/52/2017-जिएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार